न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 40/2019 (2019/00342)

1.बदाम पत्नि बद्री
2.प्रहलाद पुत्र बद्री
3.ओमप्रकाश पुत्र बद्री
4.कंवरी पुत्री बद्री
तमाम जाति ब्राहमण निवासी मेवदाकलां तहसील केकड़ी जिला अजमेर। —प्रार्थीगण

बनाम

1.माया देवी पत्नि बन्नालाल मीणा
2.सजनी पत्नि घीसालाल जाट
3.जगदीश पुत्र घीसालाल जाट
4.रामसिंह पुत्र घीसालाल जाट
5.बदाम पुत्री घीसालाल जाट
6.किस्मत पुत्री घीसालाल जाट
7.रामलाल पुत्र जगन्नाथ जाट
8.गोपाल पुत्र हीरा जाट
9.बैजनाथ पुत्र हीरा जाट
10.गोगा पुत्री हीरा जाट
11.सप्यारी पुत्री हीरा जाट
12.रतनी पत्नि रामधन जाट
13.राजेन्द्र पुत्र रामधन जाट
14.घीसी पुत्री रामधन जाट
15.माकूरी पत्नि सवाईराम जाट
16.जगदीश पुत्र सवाईराम जाट
17.रतनी पत्नि मांगीलाल जाट
18.जीतराम पुत्र मांगीलाल जाट
19.शंकर पुत्र मांगीलाल जाट
20.भंवरलाल पुत्र हरजी जाट
21.कैलाश पुत्र हरजी जाट
22.सोदरा पुत्री हरजी जाट
23.गंगाराम पुत्र देवा जाट
24.पोखर पुत्र हुक्मा जाट
25.मकना पुत्र हुक्मा जाट
26.लाला पुत्र हुक्मा जाट
27.शिवराज पुत्र बन्ना जाट
28.लादू पुत्र बन्ना जाट
सभी निवासीगण ग्राम मेवदाकलां तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान
29.राजस्थान सरकार
——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क की उपधारा (1)राज0काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः— 1. श्री कालूराम गुर्जर अधि0 —प्रार्थीगण
2. तहसीलदार केकड़ी —पैरोकार सरकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.13 17:12:02 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

दिनांक 24.0

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क, का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मेवदाकलां की जमाबंदी संवत् 2069—72 तहसील केकड़ी जिला अजमेर मे निम्नवर्णित आराजीयात स्थित है:—

Scanned with CamScan

वट खतौनी		खसरा नंबर	रकबा()	किस्म
ई	पुरानी			
468	459	655	0.55	बारानी 1

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण के कब्जे काश्त स्वामित्व की आराजीयात है। जो राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। आराजीयात पर आने जाने हेतु राजस्व रेकार्ड नक्शा ट्रेस व जमाबदी मे कोई रास्ता दर्ज नही है। इस आराजी मे आने जाने हेतु रास्ता खसरा नंबर 561 किस्म गैर मुमकिन रास्ता से प्रारंभ होकर अप्रार्थीगण की आराजी के मध्य मेर से होता हुआ प्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 655 तक पहुंचता हैं। उक्त रास्ता कदीमी है तथा इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण की आराजी मे जाने का कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते पर आने जाने मे रूकावट पैदा की जा रही है तथा बार बार कहे जाने पर भी सहमति नहीं बन रही है,तथा आने जाने के रास्ते मे लोहे की जाली लगाकर ,कॉटे आदि पटक कर वर्तमान मे रास्ते मे बाधा उत्पन्न कर रूकावट जारी है। आवश्यकता अत्यधिक है। अतः उक्त विद्यमान मार्ग को राजस्व रेकार्ड मे **"रास्ते के रूप मे अभिलिखित किया जाये"** तथा इस हेतु प्रार्थीगण नियमानुसार राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। प्रार्थीगण की उक्त खसरा नंबर के लगवा अप्रार्थीगण की आराजीयात से होता हुआ पहुॅचता है। प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण कोई उपस्थित नहीं होने से उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की जाकर जवाब बंद किया गया। तहसीलदार केकड़ी से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार केकड़ी ने उनके पत्र कमांक/भू.अ./2020/4777 दिनांक 14.10.2020 से जवाब व मौका पर्चा निर्धारित प्रपत्र मे प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार ग्राम मेवदाकलां की जमाबंदी संवत् 2076(से स्थाई)के खाता संख्या 508 मे खसरा नंबर 655 रकबा 0.55 हैक्ट0 भूमि खातेदार बदाम पत्नि बद्री,ओमप्रकाश,प्रहलाद,कंवरी पि.बद्री कौम ब्राहमण साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज है। राहिन जमाबंदी अनुसार दर्ज है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 655 तक जाने हेतु राजस्व रेकार्ड/राजस्व मानचित्र मे दर्ज रेकार्डेड रास्ता केकड़ी से टोडारायसिंह सड़क तक निकटतम रास्ता उपलब्ध है। केकड़ी से टोडारायसिह सड़क के पश्चात अप्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 665,664,663,662,659,661 मे से आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध हो सकता है। प्रार्थीगण के खेत से निकटतम दूरी पर केकड़ी से टोडारायसिंह सड़क के रूप मे स्वीकृत रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। प्रार्थीगण को अपने खेत मे आवागमन हेतु रास्ता दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है। प्रार्थीगण द्वारा ग्राम मेवदाकलां के खसरा नंबर 665,664,663,662,659,661 मे से रास्ता चाहा गया है,एवं मौका स्थिति अनुसार आवागमन हेतु अन्य निकटतम एवं सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध नहीं है। पक्षकार आपस मे प्रतिकर की राशि एवं भूमि के बदले भूमि बाबत् सहमत नहीं है। तहसीलदार केकड़ी की मौका रिपोर्ट व जवाब प्राप्त होने पर बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस प्रारंभ करते हुए प्रार्थना पत्र मे वर्णित कथनों को दौहराया तथा ग्राम मेवदाकलां मे स्थित कृषि आराजीयात खसरा नंबर 655 रकबा 0.55 है0 भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की है। जिसमे आने जाने हेतु खसरा नंबर 665,664,663,662,659,661 मे से रास्ता दिया जाना आवश्यक बताया गया है। तहसीलदार केकड़ी–पैरोकार सरकार ने प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट अनुसार रास्ता आने जाने मे सहमति व्यक्त की।

मैने वकील प्रार्थीगण व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थीगण को अपने खेत मे आवागमन हेतु रास्ता दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है। प्रार्थीगण द्वारा ग्राम मेवदाकलां के खसरा नंबर 665,664,663,662,659,661 मे से रास्ता चाहा गया है,एवं मौका स्थिति अनुसार आवागमन हेतु अन्य निकटतम एवं सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ते के अलावा मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.13 17:12:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner